नि:शुल्क आवेदन पत्र संख्या _______________ (कार्यालय प्रयोग के लिए)

आर्थिक सहायता योजनाओं के लिए आवेदन पत्र

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली

(आवेदन पत्र के सभी कॉलम भरना अनिवार्य है| आवेदन स्पष्ट, साफ़ अक्षरों में भरा होना चाहिए| आवेदन भरने के पहले पीछे दी गई ध्यान देने योग्य बातें, योजनाओं के विवरण व नियम ध्यान से पढ़ें|)

नवीनतम सत्यापित फोटो चिपकाएं (स्टेपल न करें)

1. योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है (केवल एक पर निशान लगायें)
क. वृद्धावस्था पेंशन __ ख. विकलांगता पेंशन __ ग. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना __

2. आवेदक का नाम (अंग्रेजी में) (जैसा आधार कार्ड में लिखा है) ____________________
3. आवेदक का नाम (हिंदी में) ____________________
4. पिता/माता/पति/संरक्षक का नाम ____________________
5. लिंग - स्त्री __ / पुरुष __ / अन्य __
6. जन्म तिथि ______________ 7. वर्तमान आयु ____________________
8. निवास का पता: मकान स.__________ गली/रोड स.__________ ब्लाक स. ____________

झुग्गी बस्ती/क्लस्टर/पुनर्वास कालोनी/जे जे कालोनी/गाँव का नाम ____________________

इलाका ____________________ जिला __________ पिन कोड ____________________

9. विधान सभा क्षेत्र स. _____ आसपास का पहचान चिन्ह ____________________
10. मोबाइल फ़ोन न. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
11. निम्न में से जिस श्रेणी में आते हों, उस पर निशान लगायें- अनुसूचित जाति __/ अनुसूचित जनजाति __/ अल्पसंख्यक __/ सामान्य __ (प्रमाण पत्र संलग्न करें व संख्या लिखें- ________________)
12. दिल्ली में पांच साल से रहने का प्रमाण पत्र (नियम देखें)- वोटर कार्ड __/ राशन कार्ड__/अन्य ____________ (प्रमाण पत्र संलग्न करें व संख्या लिखें- ________________)
13. प्रार्थी की परिवारिक सालाना आय (आय सीमा के लिए नियम देखें)- रु.____________
14. आधार कार्ड संख्या (UID no.)(12 अंक) (प्रतिलिपि संलग्न करें) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
15. बैंक खाता स. (प्रतिलिपि संलग्न करें) __
16. ऍम आई सी आर कोड (MICR code) (9 अंक) __ __ __ __ __ __ __ __ __
17. आई ऍफ़ एस सी कोड (IFSC code) (11 अंक) __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
18. बैंक का नाम ____________________ 19. बैंक शाखा का नाम, पता व फ़ोन न.

____

विकलांग पेन्शन के सन्दर्भ में जानकारी

विकलांगता का प्रतिशत ((नियम देखें))______________ प्रमाण पत्र संख्या व तिथि ____________ (प्रमाण पत्र संलग्न करें) विकलांगता का प्रकार - अंधापन/ कम दृष्टि/ ठीक हो चुके लेकिन विकलांग कुष्ठ रोगी/ मूक व बधिर/ लोकोमोटर (हड्डियों/ जोड़ों/ मांसपेशियों) विकलांगता/ सेरेब्रल पाल्सी/ औटिस्म/ मानसिक विकलांग/ मनोरोग

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

पति/ मुखिया की मृत्यु के समय आयु (आयु के लिए प्रमाण पत्र संलग्न करें) ________________

पति/ मुखिया की मृत्यु की तिथि ________________ मृत्यु प्रमाण पत्र ((नियम देखें)) संख्या व तिथि (प्रतिलिपि संलग्न करें) ________

घोषणा

मैं वचन देता/ देती हूँ कि 1. आवेदित योजना के समान, मैं किसी भी अन्य विभाग (केंद्र/ राज्य सरकार, दिल्ली नगर निगम इकाइयों, नई दिल्ली नगर पालिका या अन्य) से कोई आर्थिक सहायता या सरकारी पेंशन नहीं प्राप्त कर रहा/रही हूँ, 2. मेरी वार्षिक पारिवारिक आय रुपये ____________ है|

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सभी जानकारियां पूर्णतया सत्य है| अगर कोई भी जानकारी असत्य पाई गई, तो सरकार मेरे खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकती है|

____

आवेदक/ संरक्षक* का हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान

आवेदक/ संरक्षक* का नाम ____________________________

*- 18 वर्ष से कम उम्र अथवा 18 वर्ष से अधिक आयु के मानसिक विकलांग/ मनोरोगी आवेदकों के लिए मान्य

कार्यालय प्रयोग के लिए

दिनांक______________ आवेदन पत्र संख्या ______________

योजना का नाम ______________________ स्वीकृत/ अस्वीकृत ____________

अस्वीकृति का कारण ____________________ टिपण्णी ____________________

सत्यापन कर्ता के हस्ताक्षर स्वीकृत करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

***** आवेदन करते समय ध्यान देने योग्य बातें *****

1. कोई भी आवेदनकर्ता, वृद्धावस्था आर्थिक सहायता अथवा विकलांग आर्थिक सहायता अथवा महिला एवं बाल विकास विभाग की विधवा/ निराश्रित महिला आर्थिक सहायता में से किसी एक ही योजना में आवेदन कर सकता है|
2. किसी भी सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त, पेंशन-धारी व्यक्ति व उनके पति/पत्नी इन योजनाओं में आवेदन नहीं कर सकते| दूसरे, यदि आपको किसी अन्य निकाय/ संस्था, जैसे केंद्र/ अन्य कोई राज्य सरकार/ निगम पालिकाओं, से इस तरह की कोई सहायता मिलती है तो आप इस पेंशन के लिए पात्र नहीं होंगे|
3. आवेदन पत्र जमा होने पर पेंशन की मंजूरी सुनिश्चित नहीं मानी जाये| आवेदन पत्र जमा होने के बाद, आवेदनकर्ता की दिए गए पते पर जाँच की जा सकती है| जांच में कोई भी तथ्य गलत पाए जाने पर पेंशन निरस्त कर दी जाएगी व दी गई समस्त राशि वापस ले ली जाएगी| अन्य कानूनी कार्यवाई भी की जा सकती है|
4. आवेदित आर्थिक सहायता योजना से सम्बंधित सभी अनिवार्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि संलग्न करें| आवेदन पत्र व सभी दस्तावेज स्वयं-सत्यापित होने चाहिए|
5. आवेदन के समय आवेदनकर्ता को, सभी अनिवार्य मूल दस्तावेजों के साथ सम्बद्ध जिला समाज कल्याण कार्यालय में जमा करना होगा| उस वक्त उनके फॉर्म, व दस्तावेजों की जांच की जाएगी व उनका फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा|
6. www.edistrict.delhigovt.nic.in पर **प्रार्थी स्वयं भी ऑनलाइन आवेदन** कर सकते हैं|
7. आवेदन करने के लिए आधार नंबर होना अनिवार्य है|
8. अपने आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से भी जुड़वाएं ताकि, मंजूरी होने पर, आपकी पेंशन उसी खाते में भेजी जा सके|
9. मंजूरी के बाद, आर्थिक सहायता, बैंक के माध्यम से नियमानुसार प्रेषित की जाएगी|
10. पहले आवेदन पत्र के अस्वीकृत होने की सूचना मिलने पर ही दूसरा आवेदन पत्र भरें| यदि आपकी पेंशन डुप्लीकेट पाई गई तो आपके खिलाफ धोखा- धडी का मामला दर्ज किया जा सकता है और भविष्य में आप किसी भी योजना का लाभ नहीं ले पायेंगे|
11. निवास-स्थान बदलने पर, नए पते की जानकारी सम्बद्ध जिला कार्यालय में देने की जिम्मेदारी आपकी है और इसकी सूचना तुरंत दें| जांच के दौरान यदि पता गलत पाया गया तो पेंशन बंद कर दी जाएगी|
12. पेंशन चालू होने के बाद यदि कभी भी पाया गया कि पेंशन गलत सूचना देकर, धोखाधड़ी से बनवाई गयी है, तो उक्त

पेंशनधारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी (उपरोक्त 3 नंबर देखें)|

13. पेंशनधारी की मृत्यु की सूचना एक महीने के अंदर विभाग को देना अनिवार्य है, ताकि पेंशन बंद की जा सके| यह पेंशन किसी दूसरे व्यक्ति के नाम स्थानांतरित नहीं की जा सकती- यह पेंशन वापस सरकार के खाते में जमा कर दी जाती है|
14. यदि पेंशनधारी की मृत्यु के पश्चात् भी परिवार उसकी पेंशन लेता रहता है, तो उनसे निकाली गई राशि वापस ली जाएगी व उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जा सकती है|
15. जिला कार्यालयों में शिकायत के निवारण न होने पर, निदेशक, समाज कल्याण विभाग के पास अर्जी दी जा सकती है|

आर्थिक सहायता योजनाओं के नियम व अनिवार्य दस्तावेज

1. वृद्धावस्था पेंशन

(अ) **आयु प्रमाणपत्र-** वृद्धावस्था योजना में आवेदक की उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए| आयु प्रमाण के लिए निम्लिखित में से कोई एक संलग्न करें- वोटर कार्ड/ राशन कार्ड/ आधार कार्ड/ जन्म प्रमाणपत्र/ मेट्रिक/ दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट/ पैन कार्ड/ टीकाकरण कार्ड/ चिकित्सा प्रमाणपत्र/ आयु निर्धारण के चिकित्सा प्रमाणपत्र/ सरकारी मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा जारी जन्म स्थान व दिनांक दर्शाने वाला कोई दस्तावेज| **(ब) आवास प्रमाण व दिल्ली में रहने की कम से कम 5 वर्ष की अवधि दर्शाने के लिए मान्य दस्तावेज-** दोनों के लिए निम्न में से एक या एक से अधिक दस्तावेज जमा किये जा सकते हैं| वोटर कार्ड/ राशन कार्ड/ पासपोर्ट/ आधार कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ जन्म प्रमाणपत्र/ बीमा पालिसी/ टीकाकरण कार्ड/ दिल्ली में इलाज के कागज़/ बिजली का बिल/ पानी का बिल/ टेलीफोन का बिल/ गैस कनेक्शन की रसीद/ बैंक अथवा डाकघर की पासबुक/ दिल्ली में जारी जाति प्रमाणपत्र/ विद्यार्थी पहचान पत्र/ सार्वजनिक/प्राइवेट सेक्टर कम्पनी/अन्य किसी स्थापित संस्थान का पहचान कार्ड/ संपत्ति दस्तावेज/ अन्य प्रमाण जिससे दिल्ली में पिछले 5 साल से रहना स्पष्ट होता हो| **(स) आय सीमा-** प्रार्थी व उसके पति/पत्नी की सालाना आय समस्त स्त्रोतों से 1,00,000 रूपए से ज्यादा न हो| (द) दिल्ली में एकल बैंक खाते की प्रतिलिपि जो कि आधार से सब्सिडी के लिए लिंक हो| केवल मानसिक विकलांग/ मनोरोगी के लिए संयुक्त खाते की प्रतिलिपि मान्य होगी| ज) यदि 60-69 वर्ष के अनुसूचित जाति/ जन जाति/ अल्पसंख्यक जाति के आवेदक नियमानुसार अतिरिक्त राशि प्राप्त करना चाहते हैं तो अनुसूचित जाति/ जन जाति का अपने नाम का प्रमाण पत्र संलग्न करें| अल्पसंख्यक जाति के 60-69 वर्ष के आवेदक को अपनी धार्मिक संस्था से सत्यापित एक स्व-घोषणा पत्र संलग्न करना होगा|

2. विकलांगता पेंशन

(अ) **आयु प्रमाणपत्र-** विकलांग आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी की उम्र 0 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए| आयु प्रमाण, वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दर्शाए गए दस्तावेजों के अनुरूप| (ब) **आवास प्रमाण व दिल्ली में रहने की कम से कम 5 वर्ष की अवधि दर्शाने के लिए मान्य दस्तावेज-** आवास प्रमाण वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दर्शाए गए दस्तावेजों के अनुरूप| (स) **विकलांगता प्रमाण पत्र-** विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक होनी चाहिए| सरकारी अस्पताल द्वारा जारी विकलांगता प्रमाणपत्र ही मान्य होगा| (द) **आय सीमा-** अवयस्क अथवा अविवाहित विकलांग प्रार्थी की पारिवारिक सालाना आय समस्त स्त्रोतों से 1,00,000 रूपए से ज्यादा न हो| विवाहित, विकलांग प्रार्थी के सन्दर्भ में प्रार्थी व उसके पति/पत्नी की सालाना आय समस्त स्त्रोतों 1,00,000 रूपए से ज्यादा न हो| (द) दिल्ली में एकल बैंक खाते की प्रतिलिपि जो कि आधार से सब्सिडी के लिए लिंक हो| केवल अवयस्क अथवा मानसिक विकलांग/ मनोरोगी के लिए संयुक्त खाते की प्रतिलिपि मान्य होगी| (च) राष्ट्रीय न्यास नियमावली के अनुसार विधिक अभिभावक होने का प्रमाण पत्र अथवा मानसिक स्वस्थ्य अधिनियम 1987 के अनुसार विधिक अभिभावक होने का प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो)|

3. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

(अ) **आयु प्रमाणपत्र-** इस योजना में आवेदन के लिए मृतक की आयु, मृत्यु के समय 18-60 वर्ष के बीच रही होनी चाहिए, और मृतक परिवार का मुख्य आय स्त्रोत रहा होना चाहिए| आयु प्रमाण, वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दर्शाए गए दस्तावेजों के अनुरूप| (ब) **आवास प्रमाण व दिल्ली में रहने की कम से कम 5 वर्ष की अवधि दर्शाने के लिए मान्य दस्तावेज-** आवास प्रमाण वृद्धावस्था पेंशन के अंतर्गत दर्शाए गए दस्तावेजों के अनुरूप| (स) **मृत्यु प्रमाणपत्र-** इस योजना में आवेदन के लिए मृतक का मृत्यु प्रमाणपत्र संलग्न करना जरूरी है| इसके लिए निम्न दस्तावेज स्वीकार्य होंगे- पंजीयक द्वारा जारी मृत्यु

प्रमाणपत्र/ श्मशान घाट अथवा कब्रिस्तान द्वारा जारी रसीद/ मृत्यु के समय अस्पताल द्वारा जारी प्रमाणपत्र/ शव परीक्षा प्रमाणपत्र/ यदि दिल्ली से बाहर मृत्यु हुई हो जहाँ श्मशान/ कब्रिस्तान की कोई रसीद नहीं है तो गाँव के खंड विकास अधिकारी का प्रमाणपत्र भी स्वीकार किया जा सकता है| (द) **आय सीमा-** प्रार्थी की पारिवारिक सालाना आय 1,00,000 रुपये से ज्यादा न हो| ज) दिल्ली में एकल बैंक खाते की प्रतिलिपि जो कि आधार से सब्सिडी के लिए लिंक हो| केवल अवयस्क अथवा मानसिक विकलांग/ मनोरोगी के लिए संयुक्त खाते की प्रतिलिपि मान्य होगी|

आर्थिक सहायता योजनाओं के लिए आवेदन पत्र प्राप्ति रसीद

समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

(पेंशन चालू होने तक प्राप्ति रसीद संभाल कर रखें)

विधान सभा क्षेत्र संख्या ______________ योजना का नाम जिसके लिए आवेदन पत्र भरा गया है__________________

आवेदक का नाम ______________________________ पिता/ पति का नाम ______________________________

पता ____

टिपण्णी _________________________

सभी दस्तावेजों सहित पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि__________ प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर व नाम __________

विधानसभा क्षेत्र नंबर अनुसार जिला कार्यालयों के पते, फ़ोन नंबर

1. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (नई दिल्ली) (विधानसभा क्षेत्र न.- 40, 41, 42)**
टाइप IV स्टाफ क्वार्टर, मूक बधिर विद्यालय परिसर, (फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम गेट न. 10 के सामने), दिल्ली गेट, नई दिल्ली- 110002 फ़ोन- 23318323

2. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (मध्य) (विधानसभा क्षेत्र न.- 21, 22, 23, 24, 39)**
मूक बधिर विद्यालय परिसर, (फिरोज़शाह कोटला स्टेडियम गेट न. 10 के सामने), दिल्ली गेट, नई दिल्ली- 110002 फ़ोन- 23318323

3. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर) (विधानसभा क्षेत्र न.- 03, 17, 19, 20, 25)**
20-21, गुलाबी बाग़ शाप्पिंग काम्प्लेक्स, निकट सुपर बाज़ार, गुलाबी बाग़, दिल्ली 110007 फ़ोन- 23655002

4. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर-पश्चिम I) (विधानसभा क्षेत्र न.- 06, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 16)**
मूक बधिर विद्यालय परिसर, (विश्राम चौक पेट्रोल पंप के सामने), सेक्टर 4, रोहिणी, नई दिल्ली- 110085 फ़ोन- 27040844

5. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर-पश्चिम II) (विधानसभा क्षेत्र न.- 01, 02, 04, 05, 07, 18)**
मूक बधिर विद्यालय परिसर, (विश्राम चौक पेट्रोल पंप के सामने), सेक्टर 4, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 फ़ोन- 27055275

6. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (उत्तर-पूर्व) (विधानसभा क्षेत्र न.- 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70)**
संस्कार आश्रम (गुरु तेग बहादुर अस्पताल के सामने), दिलशाद गार्डन, नई दिल्ली-110093 फ़ोन- 22124176

7. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (पूर्व) (विधानसभा क्षेत्र न.- 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62)**
सिलाई केंद्र, ब्लाक 10, (श्मशान घाट के पास) गीता कॉलोनी, नई दिल्ली- 110031 फ़ोन- 22085003

8. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (दक्षिण) (विधानसभा क्षेत्र न.- 43, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)**
कस्तूरबा निकेतन, जल विहार टर्मिनल के पास, लाजपत नगर- II, नई दिल्ली- 110024 फ़ोन- 29819812

9. **जिला समाज कल्याण कार्यालय (पश्चिम) (विधानसभा क्षेत्र न.- 11, 26, 27, 28, 29, 30, 31)**
प्रशिक्षण-सह-उत्पादन केंद्र (टीसीपीसी), संतपुरा गुरुद्वारा के पीछे, पंजाब & सिंध बैंक के पास, तिलक नगर, नई दिल्ली- 110 018 फ़ोन- 25138885

10.1 **जिला समाज कल्याण कार्यालय (दक्षिण पश्चिम) (विधानसभा क्षेत्र न.- 36, 38, 44, 45)**
22-23, उद्योग सदन, (कुतुब होटल के पीछे), कुतुब इंस्टीट्युशनल एरिया, नई दिल्ली- 110016 फ़ोन- 26528175

10.2 **जिला समाज कल्याण कार्यालय (दक्षिण पश्चिम- नजफगढ़ क्षेत्र) (विधानसभा क्षेत्र न.- 32, 33, 34, 35, 37)**
कैम्प ऑफिस, एस डी एम ऑफिस परिसर, तुड़ा मंडी, नजफगढ़, नई दिल्ली- 110043 फ़ोन- 25324210